तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
5.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेशार्थ दिनांक 26.7.23 को पेश हो। अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26.7.23 तक बढ़ायी जाती है। पत्रावली दिनांक 26.7.23 को पेश हो।	
26.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं आदेश T.I. हेतु दि० 31.8.23 को पेश हो।	
31.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य पे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 4.8.23 को पेश हो।	
4.8.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। संशोधित शीर्षक पेश किया। नकल दिलायी। शामिल फाईल किया। बहस प्रा० पत्र T.I. में वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को [illegible] हुए प्रार्थी के हक-हित [illegible] की यथास्थिति का आदेश [illegible] निवेदन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तकरण नही खुलने से would be खातेदारों को अपूर्तनीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। अतः अप्रार्थी को इस हद तक पाबंद करे कि लादूलाल उनके हक-हिस्से को मूल वाद के निस्तारण तक अंतरण न करें।	
	हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस प्रा० पत्र मे वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि मृतक सुखपाल की कृषि भूमि है, जिसके अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी उत्तराधिकारी है। मृतक सुखपाल का नामान्तकरण नही खुल रहा है। प्रार्थी हरिशंकर द्वारा लादूलाल के हिस्से मे आने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार चाहा है, और यह निवेदन किया गया है कि लादूलाल उसके हिस्से में आने वाली भूमि का अंतरण न करे। ताकि प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो। किन्तु अन्य प्रतिवादीगण के हित उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से दुष्प्रभावित होंगे। अतः प्रथम दृष्टया केस लादूलाल के हिस्से पर अन्तरण ... साबित होता है। सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी लादूलाल के हिस्से में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील में जावे
	आने वाली भूमि तक ही सीमित सिद्ध होता है। अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी लादूलाल के हिस्से अधिकार की भूमि तक ही सिद्ध होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम जीवनपुरा पटवार मण्डल कालामाल तहसील नैनवां की भूमि खाता सं. 71 की खसरा संख्या 187 रकबा 1.6423 हैक्टेयर एव खसरा सं. 286/232 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान में मृतक सुखपाल आ. माधो के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, के नामान्तकरण को खोलने पर कोई रोक/निषेधाज्ञा नही होगी, लेकिन नामान्तकरण खुलने के पश्चात् लादूलाल आ. सुखपाल के हिस्से पर तार्फैसला मूलवाद भूमि अंतरण नही किये जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। लादूलाल आ. सुखपाल के अलावा अन्य [illegible] के हक-हिस्से की भूमि पर अ[illegible]रण [illegible] करने के सम्बन्ध में [illegible] निषेधाज्ञा खारिज की [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:43 IST
Reason: SelfAttested